न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर

(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 128/2019 दायर दिनांक–29.07.2019

1. गुन्दन कंवर पत्नी रतन सिंह
2. नीरू कंवर पुत्री रतन सिह
3. संजू कंवर पत्नी बिशन सिंह
4. संतोष कंवर पत्नी रघुवीर सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–वादीगण

– बनाम –

1. दारासिंह पुत्र जगदीश सिंह
2. कल्पना कंवर पत्नी दारासिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री अशोक कुमार जांगीड़**
वकील प्रति. : – **एकपक्षीय**

दावा : घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व बेदखली जमीन, स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 10–10–2022

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :– वादी द्वारा वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके ग्राम गोठडा की सरहद में खाता संख्या नया 619 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर स्थित है, जो वादियागण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त की भूमि है, उक्त भूमि को वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वाके ग्राम गोठडा में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैकअर में वादियागण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4 तथा वादिया संख्या 3का हिस्सा 1/2 तथा वादिया संख्या 4 का हिस्सा 1/4 है, इसीनुसार खातेदार काश्तकार है। उक्त वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय तांज कंवर पत्नी गुलाब सिह फौत हो चुकी है, जिसका वादग्रस्त भूमि में फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है जिसके वारीसान वादियागण संख्या 1 व 2 है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर में वादियागण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 तथा वादिया संख्या 3 को हिस्सा 1/2 तथा वादिया संख्या 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर स्वर्गीय तांज कंवर का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादियागण के लिए यह दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 के दक्षिण व पूर्व की तरफ भूमि खसरा नम्बर 461 रकबा 1.48 हैक्टर स्थित है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का दर्जशुदा है। उक्त प्रवितादी संख्या 2 ने अपने प्रति प्रतिवादी संख्या 1 से मिलकर खसरा नम्बर 461 मे दर्ज अपने 1/2 हिस्से के दिनांक 02.07.2019 को तारबन्दी करते वक्त [illegible] रूप से वादियागण की भूमि खसरा नम्बर 1379/555 को साथ [illegible] दी [illegible] सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया। जबकि प्रति[illegible] का कोई कानूनी अधिकार नही था। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 [illegible] खेत खसरा नम्बर 1379 [illegible] सम्पूर्ण जमीन पर नाजायज कब्जा लिया और गैर कानूनी रूप [illegible] तारबन्दी कर दी है, जि[illegible]या जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दारासिंह व कल्पना कंवर को उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर वादियागण के लिए यह दावा बाबत बेदखली का पेश करना आवश्यक हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:41 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

वादियागण संख्या 1 व 2 जयपुर रहती है, जब वादियागया को पता चला कि दिनांक 04.07.2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने अपनी भूमि के तारबदी करते समय वादग्रस्त भूमि को मिलाकर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया तो वादियागण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि पर गैरकानूनी व नाजायज रूप से की गई तारबंदी व कब्जा बाबत कहा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने कहा कि हमने लठ के बल पर आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है, अब हम इस भूमि में पुख्ता निर्माण कर भूमि को खुर्द–बुर्द करेगें, आपके हक अधिकार की भूमि का न तो आपको उपयोग–उपभोग करने देगे। और न ही उक्त भूमि पर आपको आने देगे। जबकि वादग्रस्त भूमि वादियागण की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि है, जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई ताल्लुक नही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 बदमाश प्रतृति के व्यक्ति है जो लठ के बल पर वादियागण की भूमि को हड़पना चाहते है, जिसको उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही है।

वादग्रस्त खसरा नम्बर 1379/555 के दक्षिण व पूर्व की तरफ स्थित भूमि खसरा नम्बर 461 रकबा 1.48 हैक्टर के खातेदार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर नाजायज रूप से लठ के बल पर दिनांक 02.07.2019 को तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया जिसका वादियागण द्वारा दिनांक 04.07.2019 को उलाहना देने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने ऐलानिया धमकी दी है कि हमने लठ के बल पर आपकी भूमि पर कब्जा कर लिया है अब हम इस भूमि में पुख्ता निर्माण कर भूमि को खुर्द बुर्द करेगे, आपके हक अधिकार की भूमि का न तो अपको उपयोग–उपभोग करने देगे और न ही उक्त भूमि पर आपको आने देगे, हम तो इसी तरह से लोगो की भूमियों को हडपते है आप तो यहां रहते नही ओर न ही आप लोग हम जैसे भूमाफियों का कुछ बिगाड सकते हो, हमारी राजनीति में उपर तक पहुंच है, हम आपकी भूमि को हडप लेगे। जबक वादग्रस्त भूमि वादियागण की खातेदारी काश्त की पैतृक भूमि है, जिससे प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई ताल्लुक नही है और न ही ऐसा करने का प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त है। अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त हैं अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपनी इस नाजायज हरकत में सफल हो गया तो वादियागण को अपारक्षति होगी जिसका खामियाजा आर्थिक रूप से असम्भव होगा। वादियागण को व्यर्थ की मुकदमें बाजी में फंसना होगा व वादियागण को अपनी खातेदारी की भूमि से वंचित होना पड़ेगा जो वादियागण के अधिकारो पर घोर कुठाराघात होगा। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर भूमि की किस्म परिवर्तित नही करे तथा न ही हरे पेड़ों को काटकर सीमाओं को खुर्द बुर्द करे। ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे अथवा न अपने अधिनस्थ अपने नौकर चाकर प्रतिनिधि संबंधी आदि से करावे। वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। ऐसी हालत में वादियागण के लिए यह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है।

बिनाय वादियागण खिलाफ प्रतिवादीगण ने जब वादियागण की भूमि पर नाजायज व गेरकानूनी रूप से दिनांक 02.07.2019 को तारबन्दी कर कब्जा करने व दिनांक 04.07.2019 को वादियागण द्वारा प्रतिवदीगण संख्या 1 व 2 द्वारा वादियागण की भूमि को निर्माण कार्य कर खुर्द–बुर्द करने की धमकी देने व राजस्व रिकार्ड की नकले दिनांक 11.07.2019 को प्राप्त करने के रोज बमुकाम गोठडा पैदा हुआ जो अदालतबाला को हक समायत है।

वादियागण द्वारा वाद–पत्र में अनुतोष के चाहा है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि में वादियागण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 का तथा वादिया संख्या 3 को हिस्सा 1/2 का तथा वादिया संख्या 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्व0 ताज कंवर का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिये जावे।

वादियागण के खेत खसरा नम्बर 1379/555 [illegible] में स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दारासिंह व कल्पना कंवर ने नाजायज [illegible] कानू[illegible] से तारबंदी कर अतिक्रमण कर लिया, जिसको हटाया जाकर [illegible] संख्या 1 व 2 [illegible] विवादित भूमि से बेदखल कर वादियागण संख्या 1 लगायत 4 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:41 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादियागण खिलाफ प्रतिवा[illegible] संख्या 1 व 2 को इस आशय की फरमाई जावे कि वादियागण संख्या 1 लगायत 4 खातेद[illegible] काश्त की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 1.10 हैक्टर वाके ग्राम गोठडा में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नाजायज व गैरकानूनी रूप से किये अतिक्रमण व कब्जे के आधार पर भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर भूमि की किस्म परिवर्तित नही करे तथा न ही हरे पेड़ो को काटकर सीमाओं को खुर्द बुर्द करे। ऐसा कृत्य न तो

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

स्वयं करे अथवा न अपने अधीनस्थ अपने नौकर चाकर प्रतिनिधि संबंधी आदि से करावे। वादग्रस्त भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादियागण के हक में पड़ती हो दिलवाई जावे।

वाद–पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीवगण संख्या 01 लगायत 03 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी तथा इनकी ओर से कोई प्रतिरक्षा प्रस्तुत नही होने पर प्रकरण मे तनकीयात कायम नही किया गया हैं।

शहादत वादी में वादिया गुन्दन कंवर पत्नी रतन सिंह जाति राजपूत निवासी गोठडा उपस्थित हो अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया गया तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–01 नक्शा ट्रेश, प्रदर्श–02 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078, प्रदर्श–03 नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 प्रदर्शित कराये गये।

शहादत प्रस्तुत होने बहस वकील वादियागण एक पक्षीय सुनी गई। वादियागण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र के तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम गोठडा की सरहद में खाता संख्या नया 619 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर स्थित है, जो वादियागण संख्या 1 लगायत 4 की खातेदारी काश्त की भूमि है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर में वादियागण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/4 तथा वादिया संख्या 3 का हिस्सा 1/2 तथा वादिया संख्या 4 का हिस्सा 1/4 है, इसीनुसार खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि में स्वर्गीय तांज कंवर पत्नी गुलाब सिह फौत हो चुकी है, जिसका वादग्रस्त भूमि में फौतगी नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है जिसके वारीसान वादियागण संख्या 1 व 2 है। इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर में वादियागण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 तथा वादिया संख्या 3 को हिस्सा 1/2 तथा वादिया संख्या 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित कर स्वर्गीय तांज कंवर का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाना न्यायोचित है। वादी अपने हक हकूक की भूमि की घोषणा करवाने का अधिकारी है। फलस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित है। फलस्वरूप वादी वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वाद वादी साबित पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379/555 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि में वादियागण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/4 का तथा वादिया संख्या 3 को हिस्सा 1/2 का तथा वादिया संख्या 4 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्व0 ताज कंवर का नाम हटाया हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 1379/555 वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दारासिंह व कल्पना कंवर को उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर वादियागण संख्या 1 लगायत 4 को पुनः कब्जा दिलवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादियागण के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:41 IST
Reason: SelfAttested

17

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) नवलगढ़

दावा बाबत घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती
व बेदखली जमीन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं0:– 128 / 2019 **(गुन्दन कंवर आदि बनाम दारासिंह आदि)**

पर्चा–डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 10.10.2022 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम गोठडा की सरहद में स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1379 / 555 रकबा 0.10 हैक्टर भूमि में वादियागण संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1 / 4 का तथा वादिया संख्या 3 को हिस्सा 1 / 2 का तथा वादिया संख्या 4 को हिस्सा 1 / 4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज स्व0 ताज कंवर का नाम हटाया हजफ किया जाता है। खसरा नम्बर 1379 / 555 वाके ग्राम गोठडा में स्थित भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 दारासिंह व कल्पना कंवर को उक्त विवादित भूमि से बेदखल कर वादियागण संख्या 1 लगायत 4 को पुनः कब्जा दिलवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादियागण के कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। इसी अनुसार तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर मुताबिक मुताबिक घोषित खातेदारी अनुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना वहन करेगे। बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.10.2022 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:41 IST
Reason: SelfAttested

29

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 40/2021 दायर दिनांक–19–02–2021

रसीद अली पुत्र सुलेमान जाति धोबी (मुस्लिम) निवासी खिरोड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
– वादी

बनाम

1. सतार
2. मोहीदीन
3. बाबूलाल उर्फ सिंकन्दर
4. छोटू
5. मोमीन

पुत्रान् स्व0 रमज्यान जाति धोबी निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।

6. श्रवण
7. बिलाल
8. चांद
9. सलीम
10. गन्नी

पुत्रान् स्व0 जूमरदीन जाति धोबी निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।

11. सैलानी
12. मुंशी
13. आमीन
14. शौकत

पुत्रान् स्व0 सुलेमान जाति धोबी निवासी खिरोड तहसील नवलगढ।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू।
16. शाखा प्रबन्धक बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
17. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा दादिया तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री विजेन्द्र सिह दूत
वकील प्रति० नं० :– एक पक्षीय

दावा घोषणार्थ, दुरूस्त करवाने राजस्व रिकार्ड व विधिवत विभाजन,

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 07–10–2022

वाद वादीगण दिनांक 18–04–2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव [illegible] क्रमांक भू.अ./2292 दिनांक 27.09.2022 प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव [illegible] वकील वादी सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता वादी द्वारा सहमति [illegible] की गई। [illegible] वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता। पत्रावली [illegible] मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.01.11 15:28:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम खिरोड की सरहद में नई खाता संख्या 669 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1109, 1115, 1129, 1144, 1145, 1156, 989 रकबा क्रमशः 1.18, 0.0600, 10, 1.82, 0.150, 0.93, 0.10 हैक्टर कुल रकबा 4.34 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ